गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

शमन/स्वीकृति पत्र

पत्रांक –.....२२...../प्रवर्तन जोन–8/2018 दिनाँक – 13·04·18

सेवा में,

मै0 आक्सी रिच डवलपर्स एण्ड प्रमोटर्स
भूखण्ड सं0–7ए, कोयल एन्क्लेव,
गाजियाबाद।

विषयः– **प्राधिकरण की कोयल एन्क्लेव योजना के भूखण्ड सं0–जी0एच0–7ए, गाजियाबाद पर निर्मित आक्सी रिच ग्रुप हाउसिंग योजना के शमन मानचित्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक स्वकीय शमन आवेदन पत्र दिनांक 29.01.2018 शपथ पत्र दिनांक 03.02.18 एवं संलग्न शमन मानचित्रों का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। आपके आवेदन पर उपाध्यक्ष महोदया के आदेश दिनांक 09.02.18 द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार आपके द्वारा शमन एवं अन्य धनराशि 96,02,538/– दिनांक 06.03.2018 से 31.03.18 तक प्राधिकरण कोष में जमा करा दिया गया है। शमन मानचित्र में प्रस्तावित निर्माण को निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान करते हुए शमन मानचित्र निर्गत किया जाता है।

शर्तेः–

1. भवन में उपयोग से पूर्व सम्पूर्ति प्रमाण पत्र लेना आवश्यक होगा।
2. रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था नियमानुसार सम्पूर्ति प्रमाण–पत्र लेने से पूर्व मौके पर सुनिश्चित करनी होगी।
3. स्वीकृत शमन मानचित्र में स्वीकृति आच्छादन के अनुसार आवश्यक वृक्षारोपण सुनिश्चित करना होगा।
4. शपथ पत्र दिनांक 03.02.18, 12.04.18 में दिये गये बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
5. उपरोक्त बिन्दु 02 से 04 तक की शर्तों के अनुपालन के उपरान्त ही सम्पूर्ति प्रमाण पत्र हेतु प्रार्थना पत्र स्वीकार्य होगा।
6. भवन स्ट्रक्चरल सेफ्टी के लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
7. शमन उपरान्त स्वीकृत इकाईयों से अधिक इकाईयों का निर्माण नही करेंगे।
8. मा0 उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका सं0–43362/2001 एवं 2435 एम.बी./2001 में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन करना होगा।
9. शमन मानचित्र की स्वीकृति के मद में गणनाओं में त्रुटिवश यदि कोई धनराशि रह जाती है तो प्राधिकरण में जमा करानी होगी।
10. शमन मानचित्र में दर्शाये गये तथ्यों में से यदि कोई तथ्य असत्य पाया जाता है तो उसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
11. शमनित भवन की गुणवत्ता, मान्य तकनीकी मानकों, स्ट्रक्चरल, डिजाईन आदि में कमी अथवा किसी दोष के कारण यदि भवन में अथवा परिसर में कोई दुर्घटना होती है तो समस्त दुर्घटनाओं की क्षतिपूर्ति के लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
12. आवेदक को भवन अपार्टमेन्ट एक्ट–2010 में दिये गये मानको/शर्तो एवं अन्य विभागों द्वारा जारी अनापत्ति पत्रों में दिये गये निर्देशों/ प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा ।
13. पूर्णता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन किये जाने से पूर्व स्थल पर स्वीकृत शमन मानचित्र में दर्शायी गयी पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। स्थल पर शमन मानचित्र के अनुरूप मैकेनिकल पार्किंग का प्राविधान करना होगा।
14. पूर्व स्वीकृत मानचित्र सं0–269/प्रवर्तन जोन–8/जी0एच0/15–16 में दी गयी शर्तों एवं उपरोक्त शर्तों का अनुपालन करना होगा।
15. उपरोक्त शर्ते शमन मानचित्र की पुस्त पर चस्पा कर दी गयी है।
17. भवन में उपयोग से पूर्व निर्मित निर्माण के अनुसार अग्नि शमन विभाग का अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। (शपथ–पत्र संलग्न)
18. पक्ष द्वारा प्रस्तुत शमन शपथ–पत्र में उल्लेखित समस्त धाराओं का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

कृपया उपरोक्तानुसार उल्लिखित शर्तों का उल्लंघन किये जाने की दशा में नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी। जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

संलग्नकः शमन मानचित्र की एक सैट उपरोक्तानुसार।

12/4/18

(रणवीर सिंह)
सहायक अभियन्ता
प्रवर्तन जोन–8

12.4.18
२२